बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री संजय कुमार शाही, तत्कालीन चकबन्दी पदाधिकारी, ब्रहमपुर, बक्सर सह–क्रय केन्द्र प्रभारी ब्रहमपुर, रघुनाथपुर बाजार समिति सम्प्रति अंचलाधिकारी, कलुवाही मघुबनी (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग) के विरूद्ध आरोप है कि :– *उन्हें रबी विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में जिला प्रबंधक ,बक्सर का कार्यालय आदेश ज्ञापांक–0186, दिनांक–14.05.2012 द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मं ब्रह्मपुर रघुनाथपुर बाजार समिति के बगल में क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त किया गया था। उनके द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कुल 18127.50 क्वी0 गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी। जिसे राज्य खाद्य निगम बक्सर द्वारा निर्गत इंफोर्समेंट/SIO के विरूद्ध आपूरित नहीं की गई। रा0खा0नि0 द्वारा निर्गत इंफोर्समेंट/SIO के विरूद्ध आपूरित गेहूँ की मात्रा के मिलान से विदित हुआ कि उनके द्वारा कुल क्रय 18127.50 क्वी0 गेहूँ के विरूद्ध मात्र 13033.20क्वी0 गेहूँ की ही आपूर्ति की गई है। शेष 5094.30 क्वीं0 गेहूँ का क्षति/गबन किया गया। जिसकी आकलित राशि 1426.04 रू प्रति क्वीं0 की दर से 72,64,675.00 रू0 (बहत्तर लाख चौसठ हजार छः सौ पचहत्तर रूपया) होता है।*

तदालोक में जिला पदाधिकारी बक्सर का पत्रांक–04–0321/आ0 दिनांक–24.04.2015 श्री शाही के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए निदेशक, चकबंदी, बिहार पटना को उपलब्ध कराया गया एवं आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1035 (नि0को0)/रा0 दिनांक–07.09.2015 द्वारा उक्त गठित आरोप पत्र इस विभाग (श्रम संसाधन) को उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक–3119 दि0–07.10.2015 द्वारा श्री शाही से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु स्मारित करने के बाद भी उनका पक्ष अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक–8113 दि0–27.12.2017 द्वारा श्री शाही के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी। संचालित विभागीय कार्रवाई में मो0 अकबर जावेद आजाद सहायक श्रमायुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक, बक्सर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला प्रबंधक राज्य खादय निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री शाही के विरूद्ध के गवन किये गये खाद्यान्न की वसूली हेतु ब्रहमपुर थाना कांड संख्या–181/15 एवं नीलाम वाद संख्या–39/2016–17 दर्ज की गयी है, जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

सहायक श्रमायुक्त, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में सुनवाई का कार्य संपन्न करते हुए अपने पत्रांक–101 दि0–07.01.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया । उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप के संबंध में बचाव करने, साक्ष्य एवं अभिलेख देने का पुरा अवसर दिया गया। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कार्रवाई में उनपर लगे आरोपों को खण्डन करने में विफल रहें एवं आरोप के संबंध में कोई भी ठोस साक्ष्य/अभिलेख न देकर टालमटोल करते रहे तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से अभिलेख की मांग करते रहे जबकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर के कर्मी द्वारा वांछित कागजात आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त श्री संजय कुमार शाही, तत्कालीन चकबन्दी पदाधिकारी ब्रहमपुर, बक्सर सह–क्रय केन्द्र प्रभारी ब्रहमपुर, रघुनाथपुर बाजार समिति सम्प्रति अंचलाधिकारी, कलुवाही मघुबनी (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग) के विरूद्ध सरकार द्वारा गठित सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के संगत प्रावधानों के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की प्रति विभागीय पत्रांक–732 दि0–12.02.2019 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए प्रमाणित आरोप के आलोक में अभ्यावेदन की मांग की गयी। पुनः स्मार पत्रांक–1474 दि0–29.03.2019, पत्रांक–2724 दि0–21.06.2019, पत्रांक–4792 दि0–09.12.2019 द्वारा श्री शाही को स्मारित भी किया गया परन्तु उनके द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में समीक्षोपरांत लगे आरोपों को दोषी पाते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के भाग–V के नियम 14 (Xi) के तहत श्री संजय कुमार शाही, तत्कालीन चकबन्दी पदाधिकारी ब्रहमपुर, बक्सर सह–क्रय केन्द्र प्रभारी ब्रहमपुर, रघुनाथपुर बाजार समिति सम्प्रति अंचलाधिकारी, कलुवाही मघुबनी (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग) जन्म तिथि–11.01.1960 को **''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''**, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–101 / 2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

<u>स्पीडपोस्ट</u> ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–101 / 2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर / जिला पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर का कार्यालय को उनके पत्रांक–0186 दिनांक–14.05.2012 के प्रसंग में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

स्पीडपोस्ट ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–101/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उनके पत्रांक–1035 (नि0को0)/रा0 दिनांक–07.09.2015 के प्रसंग में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी मधुबनी से अनुरोध है कि उक्त आदेश का तामिला संजय कुमार शाही, तत्कालीन चकबन्दी पदाधिकारी ब्रहमपुर, बक्सर सह–क्रय केन्द्र प्रभारी ब्रहमपुर, रघुनाथपुर बाजार समिति सम्प्रति अंचलाधिकारी, कलुवाही (मधुबनी) से कराते हुए आदेश की प्रवृष्टि उनके सेवापुस्त में भी की जाय एवं तदुनुसार कार्रवाई की जाय।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–101/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– संजय कुमार शाही, तत्कालीन चकबन्दी पदाधिकारी ब्रहमपुर, बक्सर सह–क्रय केन्द्र प्रभारी ब्रहमपुर, रघुनाथपुर बाजार समिति सम्प्रति अंचलाधिकारी, कलुवाही (मधुबनी) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–101/2015 श्र0स0– दिनांकः–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–101/2015 श्र0स0– दिनांकः–

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–101/2015 श्र0स0– 306 दिनांकः– 23.1.2020

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार
23/1/2020